

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

—: कार्यालय आदेश —:

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1 /12102/सीधी भर्ती/शाशि ग्रेड III/सी.भ. 2018/एनजे/2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल से इस जिले को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/संस्था-1/ 2021/शा.शि. ग्रेड III भ.-2018/रिशफल/2021/473 दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार कंजर, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तेलनी तह. छबड़ा जिला बारां में पदस्थापित किया गया था।

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसारण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय केक्रम में श्री सुरेन्द्र कुमार कंजर, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रावि निशाना तह. सपोटरा जिला करौली द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.10.2021 में गृह जिला भीलवाड़ा अथवा वर्तमान पदस्थापन राउप्रावि निशाना तह. सपोटरा जिला करौली में पदस्थापन किये जाने हेतु निवेदन किया था। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 693 दिनांक 10.11.2021 द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए पदस्थापन स्थान राउमावि तेलनी, छबड़ा में ही यथावत रखते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया था।

श्रीमान् निदेशक महो0 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदत्त है। याचिका संख्या 15933/2021 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत कर कोटा जिले के समीप अन्ता ब्लॉक या राउप्रावि नृसिंहपुरा, अटरू में पदस्थापन चाहा गया है। माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा निर्देशों केक्रम में अभ्यावेदन का गहनता से मनन एवं परीक्षण किया गया, परन्तु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप वांछित विद्यालय रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में नियमानुसार कोई ठोस आधार/कारण नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है। अतः अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेलनी, छबड़ा में यथावत रखते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी पक्ष सूचित हो।



(श्यामवतार रावल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/735 दिनांक : 22/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा भरतपुर/कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक करौली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जोधपुर/जयपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, सपोटरा जिला करौली/छबड़ा जिला बारां।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि तेलनी, छबड़ा जिला बारां।
7. विधि अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित श्री सुरेन्द्र कुमार कंजर, शारीरिक शिक्षक, राउप्रावि निशाना तह. सपोटरा जिला करौली।
9. कार्यालय प्रति।



जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां


—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1 /12102/सीधी भर्ती/शाशि ग्रेड III/सी.भ. 2018/एनजे/2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल से इस जिले को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/संस्था-1/ 2021/शा.शि. ग्रेड III भ.-2018/रिशफल/2021/473 दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री नरेश यादव, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दीगोदखालसा तह. छीपाबड़ौद जिला बारां में पदस्थापित किया गया था।

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में श्री नरेश यादव, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रावि तहारपुर (पीईईओ राउमावि मुखरावली) तह. हिण्डौनसिटी जिला करौली द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन (झक से प्राप्त) दिनांक 25.10.2021 में गृह जिला अलवर अथवा वर्तमान पदस्थापन राउप्रावि तहारपुर में पदस्थापन किये जाने हेतु निवेदन किया है एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.10.2021 में बारां जिले में पदस्थापन हेतु किसी भी इच्छित स्थान का उल्लेख नहीं किया है। इस कार्यालय के आदेश कमांक: 692 दिनांक 10.11.2021 द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन अस्वीकार करते हुए पदस्थापन स्थान राउमावि दीगोदखालसा, छीपाबड़ोद में ही यथावत रखते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया था।

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक: शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदत्त है। याचिका संख्या 15713/2021 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत कर रामावि दूसरा, रेनगढ तथा अन्ता/बारां ब्लॉक में पदस्थापन चाहा गया है। माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यावेदन का महनता से मनन एवं परीक्षण किया गया, परन्तु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप वांछित विद्यालय रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में नियमानुसार कोई जोस आधार/कारण नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है। अतः अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीगोदखालसा, छीपाबड़ोद में यथावत रखते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी पक्ष सूचित हो।


(रामावतार रावल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां
दिनांक 21/11/2021

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/ 736
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा भरतपुर/कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक करौली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जोधपुर/जयपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, हिण्डौन सिटी जिला करौली/छीपाबड़ौद जिला बारां।
6. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ।
7. विधि अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित श्री नरेश यादव, शारीरिक शिक्षक, राउप्रावि तहारपुर तह. हिण्डौन सिटी जिला करौली।
9. कार्यालय प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां


—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1 /12102/सीधी भर्ती/शाशि ग्रेड III/सी.भ. 2018/एनजे/2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल से इस जिले को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/संस्था-1/ 2021/शा.शि. ग्रेड III भ.-2018/रिशफल/2021/473 दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री जगदीश जाट, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल्दा तह. शाहबाद जिला बारां में पदस्थापित किया गया था।

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में श्री जगदीश जाट, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रावि बदलेटा बुजुर्ग तह. टोड़ाभीम जिला करौली द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 29.10.2021 में बारां जिले में पदस्थापन हेतु किसी भी इच्छित स्थान का उल्लेख नहीं किया था। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 694 दिनांक 10.11.2021 द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन पूर्व में ही अस्वीकार करते हुए पदस्थापन स्थान राउमावि बालदा, शाहबाद में ही यथावत रखते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया गया था।


श्रीमान् निदेशक महो० माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदत्त है। याचिका संख्या 15051/2021 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत कर रामावि ठूसरा, रेनगढ तथा अन्ता/बारां ब्लॉक में पदस्थापन चाहा गया है। माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यावेदन का गहनता से मनन एवं परीक्षण किया गया, परन्तु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप वांछित विद्यालय रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में नियमानुसार कोई ठोस आधार/कारण नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है। अतः अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालदा, शाहबाद में यथावत रखते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी पक्ष सूचित हो।


(रामावतार रावल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां
दिनांक : 24/11/2021

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/ 75
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा भरतपुर/कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक करौली।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जोधपुर/जयपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, टोड़ाभीम जिला करौली/शाहबाद जिला बारां।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/पीईईओ।
7. विधि अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित श्री जगदीश जाट, शारीरिक शिक्षक, राउप्रावि बदलेटा बुजुर्ग तह. टोड़ाभीम जिला करौली।
9. कार्यालय प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1 /12102/सीधी भर्ती/शाशि ग्रेड III/सी.भ. 2018/एनजे/2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल से इस जिले को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/संस्था-1/ 2021/शा.शि. ग्रेड III भ.-2018/रिशफल/2021/473 दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री दीपक कुमार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसिलिंग में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोयल तह. शाहबाद जिला बारां में पदस्थापित किया गया था।

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में श्री दीपक कुमार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रवि खमला (पीईईओ राउमावि देवगढ) तह. डग जिला झालावाड़ द्वारा दिनांक 27.10.2021 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए इस कार्यालय आदेश कमांक: जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/697 दिनांक : 10.11.2021 के द्वारा संबंधित को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेनगढ, अन्ता में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 07.12.2021 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेनगढ, अन्ता में कार्यग्रहण कर लिया है। तथा वर्तमान में भी अपीलार्थी उक्त विद्यालय में कार्यरत है।

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक: शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 03.12.2021 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश प्रदत्त है। याचिका संख्या 15665/2021 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत कर रामावि दूसरा में पदस्थापन चाहा गया है। माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यावेदन का गहनता से मनन एवं परीक्षण किया गया, परन्तु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप उक्त विद्यालय रिक्त पदों की सूची प्रदर्शित नहीं है, तथा अपीलार्थी को पूर्व में ही रामावि रेनगढ में पदस्थापन स्थान प्रदान किया जा चुका है। पदस्थापन आदेश की पालना में अपीलार्थी दिनांक 07.12.2021 से निरन्तर रामावि रेनगढ में कार्यरत है। चुंकि परिवेदना का परिणाम एक बार अपीलार्थी को दिया जा चुका है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में नियमानुसार कोई ठोस आधार नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है। अतः इस कार्यालय के आदेश कमांक: 697 दिनांक 10.11.2021 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेनगढ, अन्ता में यथावत पदस्थापन रखते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी पक्ष सूचित हो।


(समावतार रावल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां
दिनांक : 22/11/21

क्रमांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/738
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा, कोटा।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अन्ता जिला बारां।
4. प्रधानाध्यापक, रामावि रेनगढ, अन्ता जिला बारां।
5. विधि अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
6. संबंधित श्री दीपक कुमार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, रामावि रेनगढ तह. मांगरोल जिला बारां।
7. कार्यालय प्रति।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

—:: कार्यालय आदेश ::—

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-1 /12102/सीधी भर्ती/शाशि ग्रेड III/सी.भ. 2018/एनजे/2021 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के रिशफल से इस जिले को पदस्थापन हेतु सुपुर्द किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेशांक : जिशिअ/मु.मा./बारां/संस्था-1/ 2021/शा.शि. ग्रेड III भ.-2018/रिशफल/2021/473 दिनांक 21.06.2021 द्वारा श्री अमृत सिंह परिहार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III को पदस्थापन हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इच्छित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशियारा तह. शाहबाद जिला बारां में पदस्थापित किया गया था।

श्रीमान निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-माध्य/संस्था /एफ-2/को. के./शाशि ग्रेड III/रिशफल/13100/2021 दिनांक 12.10.2021 के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णय के क्रम में श्री अमृत सिंह परिहार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रावि नवापुरा ध्वेचा तह. भीनमाल जिला जालोर द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन स्थान गृह जिले जोधपुर में चाहा गया है।

माननीय न्यायालय निर्णय एवं विभागीय दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यावेदन का गहनता से मनन एवं परीक्षण किया गया, अभ्यावेदन में श्री अमृत सिंह परिहार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III द्वारा गृह जिला जोधपुर में पदस्थापन चाहा गया है, अभ्यावेदन में चाहा गया पदस्थापन इस जिले से संबंधित नहीं होने के कारण अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री अमृत सिंह परिहार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है तथा इस कार्यालय के आदेशांक 473 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खुशियारा तह. शाहबाद जिला बारां में यथावत पदस्थापित रखते हुए अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। समस्त पक्ष सूचित हो।



(समावतार रावल)
जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां

क्रमक : जिशिअ/मु.मा./बारां/शा.शि. ग्रेड III 2018/रिशफल/परि.निस्ता./2021/739 दिनांक : 22/11/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा जोधपुर/कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक जालोर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि जोधपुर/जयपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, भीनमाल जिला जालोर/शाहबाद जिला बारां।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/पीईईओ।
7. विधि अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
8. संबंधित श्री अमृत सिंह परिहार, शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, राउप्रावि नवापुरा ध्वेचा तह. भीनमाल जिला जालोर।
9. कार्यालय प्रति।



जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक) बारां